तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
20.04.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् बहस हेतु अवसर चाहते है। न्यायहित में बहस हेतु अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30.05.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
30.05.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 26.06.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
26.06.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 29/06/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
100/2018	2018/00331	14.12.2018	26.06.2023

उनवान प्रकरण

1. प्रभूदयाल पुत्र श्री नारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान मृत्तक के बजाय :–

1/1 रामावतार पुत्र स्व. प्रभूदयाल

1/2 कैलाशचन्द पुत्र स्व. प्रभूदयाल

1/3 मोतीलाल पुत्र स्व. प्रभूदयाल

1/4. विनोद बिहारी पुत्र स्व. प्रभूदयाल

1/5 प्रकाश कुमावत पुत्र स्व. प्रभूदयाल

1/6 महेश कुमावत पुत्र स्व. प्रभूदयाल

1/7 गीता देवी पत्नि स्व. बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल

1/8 राकेश पुत्र स्व. बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल

1/9 मुकेश पुत्र स्व. बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल

1/10 टिकूं पुत्री स्व. बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल

समस्त जाति कुमावत निवासीगण हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:10 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामनाथ आयु 75 वर्ष
2. मालीराम पुत्र रामनाथ आयु 54 वर्ष
3. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. हरिद्धार आयु 30 वर्ष
4. जितेन्द्र पुत्र स्व. हरिद्धार आयु 28 वर्ष
5. **हेमन्त पुत्र स्व. हरिद्धार मृत्तक के बजाय :–**

   5/1 श्रीमति मीरा देवी पत्नि स्वर्गीय हेमन्त आयु 24 वर्ष

   5/2 अंशूल पुत्र स्वर्गीय हेमन्त आयु 3 वर्ष

   5/3 पलक पुत्री स्वर्गीय हेमन्त आयु 4 वर्ष

   दोनो संतान नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक माता श्रीमति मीरा देवी पत्नि स्वर्गीय हेमन्त जाति कुमावत निवासीगण हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

6. सुमित्रा पुत्री स्व. हरिद्धार आयु 40 वर्ष
7. ममता पुत्री स्व. हरिद्धार आयु 35 वर्ष
8. सुवा पुत्री स्व. हरिद्धार आयु 33 वर्ष

   समस्त जाति कुमावत निवासीगण हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

9. **शंकरलाल पुत्र स्व. महादेव मृत्तक के बजाय :–**

   9/1 मैना देवी पत्नी स्व. शंकरलाल आयु 54 वर्ष

   9/2 रोहिताश पुत्र स्व. शंकरलाल आयु 36 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:10 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

9/3 संजय कुमार पुत्र स्व. शंकरलाल आयु 30 वर्ष

9/4 सरोज देवी पुत्री स्व. शंकरलाल आयु 32 वर्ष

9/5 आशा देवी पुत्री स्व. शंकरलाल आयु 30 वर्ष

समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

10. **मुक्तिलाल पुत्र स्व. महादेव मृत्तक के बजाय :-**

10/1 नीरज पुत्र स्व. मुक्तिलाल

10/2 गुलशन पुत्र स्व. मुक्तिलाल

10/3 ललित पुत्र स्व. मुक्तिलाल

10/4 संतरा देवी पत्नि स्व. मुक्तिलाल

समस्त जाति कुमावत निवासीगण हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

11. श्यामलाल पुत्र स्व. महादेव आयु 40 वर्ष

12. हणमान पुत्र स्व. भागीरथ आयु 60 वर्ष

समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

--प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:10 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :-

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री बनवारी लाल कुड़ी, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 9 अभिभाषक।

श्री फूलचन्द सामोता, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 12 अभिभाषक।

26/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दावा बाबत इस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 595/1/3 रकबा 8 बीघा जिसके नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 515, 522, 524 कुल किता 3 कुल रकबा 1.98 हैक्टर तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि है। जिस पर वादी अपने बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु कर्ता खानदान एंव परिवार में बड़े होने की वजह से खातेदारी वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट केवल मात्र रामनाथ, महादेव पिता नारायण के अकेलो के नाम दर्ज हुयी है। उक्त भूमि के 1/3 हिस्से पर वादी शुरू से काबिज काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में भी वादी अपने उक्त 1/3 हिस्से पर पूर्णतया काबिज काश्त है। उक्तानुसार वादी अपने 1/3 हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूर्णतया कानूनी अधिकारी है। उक्त वर्णित भूमि की पूर्व में वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट खातेदारी रामनाथ, महादेव पुत्रगण नारायण के नाम दर्ज हुयी जो बाद में रामनाथ, महादेव पिता नारायण को सरना गलत रूप से दर्ज हुयी तथा बाद में इसी सरना को राजस्व कर्मचारियो द्वारा सुरजा दर्ज कर दिया गया है। महादेव के पिता का नाम सुरजा नही होकर नारायण ही है। उक्त भूमि को मौके पर 1/3 हिस्से को वादी एंव 1/3 हिस्से को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 व 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 3 ता 11 काबिज [illegible] इसी अनुसार पक्षकारान का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या [illegible] कोई कब्जा काश्त नही रहा है, ना ही वर्तमान में है [illegible] प्रतिवादी नम्बर 12 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:10 IST
Reason: SelfAttested

26/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भागीरथ ने कभी भी काश्त नही किया है। प्रतिवादी नम्बर 12 के पिता भागीरथ ने अपना हिस्सा वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 एंव प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 के पिताओ को ही सम्भला दिया था। इस प्रकार उक्त भागीरथ द्वारा अपने सगे तीनो भाईयो को अपना हिस्सा बराबर-बराबर हिस्सा सम्भलाकर उक्त भूमि के कुल 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से अपने तीनो भाईयो को बराबर-बराबर सम्भला दिया था। इसी अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है। पक्षकारान आपस में एक ही परिवार एंव खानदान से है। पूर्व में आपस में सभी भाईयो में प्रेम, स्नेह एंव आपसी विश्वाश्रित सम्बन्ध रहे है। इसी कारण आपस में बेईमानी नही होने से पूर्व में वादी को इस गलत खातेदारी बाबत कोई जानकारी नही रही हैं ना ही इस बात की कभी आवश्यकता ही महसूस हुयी परन्तु अब वर्तमान समय में जमीनो की बढ़ती हुयी कीमतो एंव वर्तमान समय में चल रहे आपसी मनमुटाव के चलते वादी ने वर्तमान जमाबंदी की नकल माह मई 2018 में पटवारी हल्का से प्राप्त की तो इस गलत खातेदारी बाबत वादी को प्रथम बार जानकारी हुयी इससे पूर्व वादी को इस गलत खातेदारी बाबत वादी को पूर्व में कोई जानकारी कभी भी नही रही है। वादी ने वर्तमान जमाबंदी व पुराने रिकार्ड की नकल प्राप्त कर वादी ने अर्सा 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को वादी के नाम खातेदारी दर्ज कराने बाबत कंहा तो वे आनाकानी करने लगे एंव ज्यादा ही जोर देकर कहा तो वे लोग स्पष्ट इन्कार हो गये तथा कब्जा काश्त वादी में मजाहमत करने एंव भूमि को दीगर लोगो को बैचान किये जाने की स्पष्ट धमकी प्रतिवादीगण द्वारा दिये जाने के कारण वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वादपत्र बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 515, 522, 524 कुल किता 3 कुल रकबा 1.98 हैक्टर तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के 1/3 हिस्से का वादी को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में वादी नाम दर्ज कराने का [illegible] है। उक्त 1/3 हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा मृत[illegible] राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में कि[illegible] है। यह वाद वास्ते इस्तकरार

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

26/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:10 IST
Reason: SelfAttested

हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 9 की ओर से श्री बनवारी लाल कुडी एड0 ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय कोस दावा पेश किया एंव प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 12 की ओर से श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा मय वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 3, 6 लगायत 8, 10, 11, 13 की ओर से इस न्यायालय में असालतन या वकालतन किसी के उपस्थित नहीं आने पर उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण के द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 9, 10 के फौत होने पर कायम मुकामान प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान बाद सुनवाई स्वीकार किये जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5, 9, 10 के वारिसान् को रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर कुल चार बिन्दू वादीगण की ओर से एंव कुल तीन बिन्दू प्रतिवादीगण की ओर से कायम किये गये तथा वादीगण में से वादी कैलाश पुत्र प्रभूदयाल व प्रकाश कुमावत पुत्र प्रभूदयाल के मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। इसके उपरान्त वादीगण में से वादी प्रकाश कुमावत पुत्र प्रभूदयाल से जिरह प्रारम्भ की गई। जो समयाभाव के कारण जिरह डेफर की गई। इसी दौरान प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 9 के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से राजीनामा पेश होने पर बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 9 के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगणों ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण बरूए राजीनामा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर पत्रावली का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:10 IST
Reason: SelfAttested

26/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

किया गया। अवलोकन से प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने तथा प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने से प्रकरण में तनकीयात वाईज फैसला नहीं किया जाकर सीधे ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2074 की जमाबन्दी, वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में हुए राजीनामा, साक्ष्य वादीगण में पेश शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा मृत्तक महादेव पुत्र सुरजा के नाम 1/3 हिस्से की दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। उक्त भूमि पक्षकारान् की पैत्रृक कृषि भूमि होना तथा वादी अपने बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त होना तथा कर्त्ता खानदान एंव परिवार में बड़े होने की वजह से खातेदारी वरवक्त प्रथम सैटलमेंट केवल मात्र रामनाथ, महादेव पिता नारायण के अकेले के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 12 की ओर से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में हाजिर अदालत उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश कर वादपत्र को स्वीकार किया जाना प्रतित होता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 9 के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 9 के द्वारा दिनांक 13.09.2021 को एंव प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 18.04.2023 को हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक कराये जाने तथा वादीगण के पक्ष में डिकी जारी किये जाने में [illegible] राजीनामा में अंकित किया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा [illegible] वादपत्र [illegible] तथ्यों की पुष्टि होती हैं तथा वादपत्र को प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 12 के [illegible] वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व प्रतिवादीगण संख्या 1 व [illegible] के द्वारा वादीगण के पक्ष में तस्दीक कराये गये राजीनामा से वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल प्रदान करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:10 IST
Reason: SelfAttested

26/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकरण में अन्य शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 9 के द्वारा राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या 2, 4 व 12 के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश कर दिये जाने से वादपत्र में कायम की गई तनकीवाईज निर्णय नहीं किया जाकर बरूए राजीनामा सीधे ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं। जिसके आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 515, 522, 524 कुल किता 3 कुल रकबा 1.98 हैक्टर तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के 1/3 हिस्से का वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/10 को काबिज खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी होने से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त 1/3 हिस्से से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा मृत्तक महादेव पुत्र सुरजा का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है तथा उक्त भूमि के 1/3 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किये जाने तथा शेष 1/3 हिस्से की खातेदारी मृत्तक महादेव पुत्र सुरजा के वारिसान् प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5/1 से 5/3, 6 ता 8, 9/1 से 9[illegible] 1 से 10/4 व 11 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जानें की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:10 IST
Reason: SelfAttested

26/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें ना ही दीगर से करावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दुरस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

26/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.05 15:13:10 IST
Reason: SelfAttested